राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : प.7(66)परि / नियम / मु. / 2020 / 13089 जयपुर, दिनांक : 14-6-22

समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी,
....(राजस्थान)।

विषयः केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) द्वारा दुपहिया वाहन निर्माता से यह अपेक्षा की गई है कि वह वाहन के प्रथम विक्रय के समय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 एवं तत्समत् राज्य नियमों में शिथिलन प्राप्त व्यक्तियो के अतिरिक्त समस्त वाहन क्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का हेलमेट उपलब्ध करवाये। इस हेतु विभाग द्वारा कार्यालय आदेश 11 / 2021 दिनांक 05.08.2021 जारी किया गया जिसमें इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये है, परन्तु यह संज्ञान में लाया गया है कि बैटरी चलित दुपहिया वाहन निर्माताओं / डीलर्स द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नही की जा रही है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त गंभीर दोष की श्रेणी में आता है।

अतः समस्त बैटरी चलित दुपहिया वाहन निर्माताओं / डीलर्स को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय आदेश 11 / 2021 दिनांक 05.08.2021 के प्रावधानानुसार बैटरी चलित दुपहिया वाहन के साथ हेलमेट प्रदान किये जाने की कार्यवाही करें।

इसके साथ समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वाहन निर्माताओं तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्यरत समस्त वाहन विक्रेताओं (डीलर्स / ट्रेडधारक) के स्तर पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) की पालना सुनिश्चित करवायी जावे एवं उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने वाले वाहन विक्रेताओं (डीलर्स / ट्रेडधारक) के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही की जावे।

संलग्न– कार्यालय आदेश 11 / 2021

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : प.7(66)परि / नियम / मु. / 2020 / 13090-095 जयपुर, दिनांक : 14-6-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त अधिकृत दुपहिया वाहन निर्माता / डीलर्स।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(66)परि/नियम/मु./2020/पार्ट 2/13561 जयपुर, दिनांकः 5/8/21

कार्यालय आदेश 11 /2021

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) द्वारा दुपहिया वाहन निर्माता से यह अपेक्षा की गई है कि वह वाहन के प्रथम विक्रय के समय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 एवं तत्समत् राज्य नियमों में शिथिलन प्राप्त व्यक्तियो के अतिरिक्त समस्त वाहन क्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का हेलमेट उपलब्ध करवाये, किन्तु यह संज्ञान में लाया गया है कि वाहन निर्माताओं/डीलर्स द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नही की जा रही है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त गंभीर दोष की श्रेणी में आता है।

इस स्थिति में दुपहिया वाहन निर्माता के स्तर पर यह अपेक्षित है कि वह वाहन के प्रथम विक्रय के समय चालक हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का एक हेलमेट उपलब्ध करवाये अर्थात् वाहन विक्रेता वाहन के विक्रय के समय वाहन के साथ एक हेलमेट वाहन क्रेता को उपलब्ध करवाये।

इस प्रावधान को प्रभावी तरीके से लागू करने की दृष्टि से निम्नलिखित दिशा– निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राज्य में दुपहिया यान की बिक्री के साथ चालक हेतु एक सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) विनिर्माता/वाहन डीलर्स द्वारा उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138(4)(f) के अन्तर्गत विनिर्माता/वाहन डीलर द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला हेलमेट निःशुल्क होगा, जिसका पृथक से वस्तुबद्ध इनवॉइस (itemized invoice) जारी नहीं किया जायेगा।
3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 (4)(f) के प्रावधानों के अनुरूप दुपहिया यान चालकों की सुरक्षा के लिए सभी विनिर्माता एवं डीलर्स अधिकाधिक प्रचार प्रसार एवं सहयोग करेंगें।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वाहन निर्माताओं तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्यरत समस्त वाहन विक्रेताओं (डीलर्स/ट्रेडधारक) के स्तर पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उप–नियम (4)(f) की पालना सुनिश्चित करवायी जावे एवं उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने वाले वाहन विक्रेताओं (डीलर्स/ट्रेडधारक) के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही की जावे। ज्ञातव्य है कि उपरोक्त के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को आहूत बैठक में फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7(66)परि/नियम/मु./2020/पार्ट 2 13562-71 जयपुर, दिनांकः 5/8/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. तकनीकी निदेशक, एनआईसी।
8. अध्यक्ष एवं सचिव, फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन।
9. समस्त विनिर्माता एवं डीलर्स को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव